संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

6 वीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश
Phon 0755-2760122 Fax-2768159
e-mail-nmsahorti@mp.gov.in,website-www.mphorticulture.gov.in

क्रमांक / उद्यान / PMKSY / 1 / 2016–17 / 1259 भोपाल, दिनांक : 01/08/16

प्रति,

उप / सहायक संचालक उद्यान
जिला .... ।

विषय :– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत माइक्रो इरीगेशन (Per drop more crop) वर्ष 2016–17 के लक्ष्य निर्धारण बावत।

भारत सरकार का पत्र क्रमांक F.no. 11-10/2016-Hort दिनांक 22.02.2016 द्वारा **PMKSY** अन्तर्गत केन्द्र प्रवर्तित माईक्रो इरीगेशन योजनांतर्गत स्वीकृत केन्द्रांश राशि रूपये 14000.00 लाख की 75 प्रतिशत् राशि रूपये 10500.00 लाख के अंतर्गत जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर पत्र के साथ संलग्न हैं:–

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुये योजनांतर्गत कार्य किया जाना सुनिश्चित करें :–

1 वर्ष 2015–16 की भौतिक प्रगति के आधार पर प्रदेश के जिलों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है ।

(1) अति उच्च संभावना वाले जिले–13 शाजापुर, आगरमालवा, खरगौन, धार, खण्डवा, देवास, राजगढ, बडवानी, रीवा, सीहोर, बुरहानपुर, नीमच एवं छिंदवाडा।

(2) उच्च संभावना वाले जिले–14 भोपाल, टीकमगढ, दमोह, रतलाम, अलीराजपुर, होशंगाबाद, सीधी, भिण्ड, सागर, विदिशा, झाबुआ, मन्दसौर, रायसेन एवं शहडोल।

(3) सामान्य संभावना वाले जिले–24 दतिया, उमरिया, बैतूल, इन्दौर, छतरपुर, सिंगरौली, उज्जैन, गुना, कटनी, मण्डला, अनूपपुर, सतना, सिवनी, शिवपुरी, अशोकनगर, हरदा, जबलपुर, पन्ना, बालाघाट, श्योपुर, ग्वालियर, डिण्डौरी, मुरैना एवं नरसिंहपुर।

2. लक्ष्यों के निर्धारण में अति उच्च संभावना वाले जिलों को 1000 हेक्टर, उच्च संभावना वाले जिलों को 400 हेक्टर एवं सामान्य संभावना वाले जिलों को 100 हेक्टर प्रति जिला लक्ष्य आवंटित किये गये हैं।
3. शेष लक्ष्य पूल के रूप में प्रदेश स्तर पर उपलब्ध रहेंगे। जिले में लक्ष्यों की पूर्ति उपरांत पूल के लक्ष्यों को जिले के द्वारा "प्रथम आओ–प्रथम पाओ" के आधार पर स्वतः ही ऑन लाईन पद्वति से प्राप्त किये जा सकेंगे। यह लक्ष्य ऑन लाईन पद्वति के तहत् उपलब्ध होंगे। पूल वाले लक्ष्य पूर्ण होते ही नवीन स्वीकृति जारी करना स्वतः बन्द हो जायेगी।
4. हितग्राही का चयन विकास खण्डवार ऑन लाईन आवेदन के कम अनुसार **"प्रथम आओ प्रथम पाओ"** के आधार पर किया जावे।
5. जिले के उप / सहायक संचालक उद्यान द्वारा प्रत्येक माह के 7 तारीख तक विगत एक माह के स्वीकृत योग्य प्रकरणों की सूची जिला पंचायत की सक्षम स्थायी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी। समिति द्वारा सात दिवस के अंदर इस पर विचार करना आवश्यक होगा अन्यथा इसे अनुमोदित माना जायेगा। समिति के अनुमोदन उपरांत औपचारिक कार्यादेश ऑनलाईन जारी किया जायेगा।
6. जिले के उप / सहायक संचालक उद्यान द्वारा लाभांवित हितग्राहियों की सूची अनुदान स्वीकृति के एम माह के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत एवं जनपद की कृषि स्थाई समिति को अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जावेगी। यह सूची विभागीय बेवसाईट WWW.mphorticulture.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।
7. कृषक अंश राशि बैंक ड्राफ्ट / इलेक्ट्रॉनिक आर.टी.जी.एस. द्वारा संबंधित कंपनी को देय होगी तथा कंपनी बैंक ड्राफ्ट / बैंक स्टेटमेंट के आधार पर जिला कार्यालय को सूचित करेगी। इसके पश्चात्

कार्यादेश जारी किये जावेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट संबंधित कंपनी को कार्यादेश के साथ संलग्न कर वापस किये जावें।

8. संलग्न कार्यादेश प्रारूप अनुसार ही कार्यादेश कम्प्यूटरीकृत/ऑनलाईन जारी किये जावें। पंजीकृत निर्माता कंपनी कार्यादेश दिनांक से 21 दिवस के अंदर संयंत्र स्थापित कर कृषक संतुष्टि प्रमाण पत्र जिला कार्यालय में प्रस्तुत करेगी ।
9. लाभांवित हितग्राहियों के प्रत्येक प्रकरण का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन कलेक्टर द्वारा गठित समिति से कराया जाये, ताकि सम्पूर्ण पारदर्शिता से स्थापित सिस्टम की गुणवत्ता तथा मात्रा (क्वांटिटी) का प्रभावी भौतिक सत्यापन हो सके। उपरोक्त के अतिरिक्त सेम्पल आधारित थर्ड पार्टी गुणवत्ता सत्यापन हेतु रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Chemical & Fertiliger) की शीर्ष संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी, (Cipet) भोपाल को अधिकृत किया गया है।
10. संयंत्र स्थापना के पूर्व एवं पश्चात (सिस्टम को क्रियाशील स्थिति में) के फोटोग्राफ्स जिसमें कृषक का नाम, रकबा, फसल, ग्राम तथा जिला आदि का विवरण हो, आवश्यक रूप से प्राप्त करने के पश्चात् ही अनुदान राशि का भुगतान किया जाये। ऑनलाईन प्रकिया होने पर उपरोक्त दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड किये जावें।
11. भौतिक सत्यापन तिथि से उपयुक्त पाये जाने पर संबंधित प्रदायक को उनके देयकों का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने की स्थिति में 15 दिवस के अंदर किया जाये।
12. **अनुदान सहायता**–कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर संयंत्र स्थापित कराने पर संबंधित कृषक के बैंक खाते में, बैंक ऋण के माध्यम से संयंत्र स्थापित कराने पर संबंधित बैंक एवं कंपनी के माध्यम से संयंत्र स्थापित कराने पर संबधित कंपनी के बैंक खाते में देय होगी।
13. पंजीकृत निर्माता कम्पनियों के ही देयक मान्य किये जावें एवं भुगतान कोषालय के माध्यम से प्रदायक के खाते में आर.टी.जी.एस किया जाये ।
14. जिले हेतु निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उसके विरूद्ध समय–समय पर होने वाली पूर्ति तथा शेष आदि की जानकारी का विवरण जिला उद्यानिकी कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाये।
15. योजना की गाईड लाईन अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत् राशि लघु एवं सीमान्त किसानों को, न्यूनतम 30 प्रतिशत् महिला हितग्राहियों को तथा वित्तीय वर्ष में कुल व्यय का 16 प्रतिशत् एवं 21 प्रतिशत् कमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर जिले में अनुसूचित जाति उपयोजना(SCSP)/अनुसूचित जनजाति उपयोजना(TSP) मद में उपयोग किया जावेगा। इसका कडाई से पालन किया जाये।
16. वित्तीय वर्ष समाप्ति पर लाभान्वित हितग्राहियों की सूची निर्धारित प्रपत्र–सी में विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर संबंधित ग्राम पंचायत को सूचित करते हुये पंचायत कार्यालय के पटल पर भी चस्पा की जाये।
17. भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार PMKSY योजनांतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का हिस्सा 60:40 किया जाकर निम्नानुसार अनुदान निर्धारित किया गया है :–

DPAP (28) जिलों के लिए

कृषक श्रेणी	वर्ग	योजनांतर्गत प्रावधानित अनुदान %			टॉपअप राज्यांश %	कुल अनुदान %
		केन्द्रांश (60 %)	**राज्यांश (40 %)**	**योग**		
लघु/ सीमांत कृषक	अ.जा./ अ.ज.जा.	36	24	60	10	70
	सामा.	36	24	60	5	65
बडे कृषक	अ.जा./अ.ज.जा/ सामा.	27	18	45	10	55

Non DPAP (23) जिलों के लिए

कृषक श्रेणी	वर्ग	योजनांतर्गत प्रावधानित अनुदान %			टॉपअप राज्यांश %	कुल अनुदान %
		केन्द्रांश (60 %)	राज्यांश (40 %)	योग		
लघु/सीमांत कृषक	अ.जा./ अ.ज.जा.	27	18	45	10	55
	सामा.	27	18	45	5	50
बडे कृषक	अ.जा./अ.ज.जा/ सामा.	21	14	35	10	45

18. ड्रिप हेतु इकाई लागत योजना की गाईडलाईन वर्ष 2014 के परिशिष्ट–1 एवं स्प्रिंकलर हेतु गाईडलाईन में दर्शाये अनुसार अनुदान राशि निर्धारित की जावे ।
19. प्रशासनिक मद में व्यय केन्द्रांश राशि के अन्तर्गत ही किया जावे।
20. संलग्न पत्रक अनुसार भौतिक लक्ष्यों का मदवार विभाजन अनुसार ही पूर्ति की जावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्य प्रदेश, भोपाल

क्रमांक/उद्यान/PMKSY/1/2016–17/ 1260 भोपाल, दिनांक : 01/08/16

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला कियान्वयन समिति, जिला ....
3. संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग ....
4. मेसर्स ....

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्य प्रदेश, भोपाल

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी मध्य प्रदेश,

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (**PMKSY**) माइक्रो इरीगेशन योजना (**Per drop more crop**) वर्ष 2016–17 हेतु भौतिक, वित्तीय लक्ष्य

(रकबा हेक्टर, राशि लाख में)

क.	नाम जिला	लक्ष्य															
		ड्रिप						स्प्रिंकलर						योग			
		भौतिक			वित्तीय			भौतिक			वित्तीय			भौतिक	वित्तीय		
		सामान्य	अ. जा / अ. ज.जा.	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	सामान्य	अ. जा / अ. ज.जा.	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग		केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	शाजापुर	0	1000	1000	218.91	268.46	487.37						0.00	1000	218.91	268.46	487.37
2	आगरमालवा	200	800	1000	166.29	191.85	358.14			0			0.00	1000	166.29	191.85	358.14
3	खरगौन	200	800	1000	290.47	355.02	645.49			0			0.00	1000	290.47	355.02	645.49
4	धार	0	1000	1000	267.10	321.32	588.42			0			0.00	1000	267.10	321.32	588.42
5	खण्डवा	200	800	1000	271.36	339.16	610.52			0			0.00	1000	271.36	339.16	610.52
6	देवास	500	500	1000	289.67	343.95	633.62			0			0.00	1000	289.67	343.95	633.62
7	राजगढ़	200	800	1000	204.89	237.75	442.64			0			0.00	1000	204.89	237.75	442.64
8	बड़वानी	200	800	1000	330.61	381.62	712.23			0			0.00	1000	330.61	381.62	712.23
9	रीवा	100	571	671	135.89	167.35	303.24	100	229	329	20.88	24.89	45.77	1000	156.77	192.24	349.01
10	सीहोर	200	800	1000	224.59	293.51	518.10			0			0.00	1000	224.59	293.51	518.10
11	बुरहानपुर	500	500	1000	204.00	280.84	484.84			0			0.00	1000	204.00	280.84	484.84
12	नीमच	100	400	500	59.55	86.68	146.23	100	400	500	37.57	54.14	91.71	1000	97.12	140.82	237.94
13	छिंदवाडा	400	400	800	154.60	188.14	342.74	100	100	200	11.33	14.98	26.31	1000	165.93	203.12	369.05
14	भोपाल	0	300	300	59.81	83.48	143.29	50	50	100	4.70	6.57	11.27	400	64.51	90.05	154.56
15	टीकमगढ़	75	75	150	20.47	27.29	47.76	125	125	250	12.58	16.28	28.86	400	33.05	43.57	76.62
16	दमोह	50	160	210	72.85	78.92	151.77	50	140	190	11.39	15.51	26.90	400	84.24	94.43	178.67
17	रतलाम	100	300	400	119.87	146.51	266.38			0			0.00	400	119.87	146.51	266.38
18	अलीराजपुर	100	300	400	126.00	154.00	280.00			0			0.00	400	126.00	154.00	280.00
19	होशंगाबाद	100	300	400	66.89	97.20	164.09			0			0.00	400	66.89	97.20	164.09
20	सीधी	100	100	200	44.88	52.04	96.92	100	100	200	58.78	66.17	124.95	400	103.66	118.21	221.87
21	भिण्ड	100	100	200	41.49	50.71	92.20	100	100	200	10.67	14.91	25.58	400	52.16	65.62	117.78
22	सागर	30	70	100	20.50	28.61	49.11	100	200	300	14.12	19.70	33.82	400	34.62	48.31	82.93
23	विदिशा	100	100	200	29.77	45.65	75.42	100	100	200	9.17	13.17	22.34	400	38.94	58.82	97.76
24	झाबुआ	100	300	400	103.89	126.97	230.86			0			0.00	400	103.89	126.97	230.86
25	मंदसौर	100	300	400	53.66	72.97	126.63			0			0.00	400	53.66	72.97	126.63
26	रायसेन	100	100	200	35.09	44.58	79.67	100	100	200	12.00	15.05	27.05	400	47.09	59.63	106.72
27	शहडोल	200	200	400	109.28	133.56	242.84			0			0.00	400	109.28	133.56	242.84
28	अनूपपुर	50	50	100	32.98	37.47	70.45			0			0.00	100	32.98	37.47	70.45
29	अशोकनगर	50	50	100	10.41	12.72	23.13			0			0.00	100	10.41	12.72	23.13
30	बालाघाट	20	80	100	21.38	29.90	51.28			0			0.00	100	21.38	29.90	51.28
31	बैतूल	0	100	100	24.54	30.00	54.54			0			0.00	100	24.54	30.00	54.54
32	छतरपुर	50	50	100	12.02	17.05	29.07			0			0.00	100	12.02	17.05	29.07
33	दतिया	25	25	50	8.96	13.00	21.96	25	25	50	2.30	3.29	5.59	100	11.26	16.29	27.55
34	डिण्डौरी	25	25	50	6.68	8.75	15.43	25	25	50	7.95	9.72	17.67	100	14.63	18.47	33.10
35	गुना	50	50	100	12.83	16.04	28.87			0			0.00	100	12.83	16.04	28.87
36	ग्वालियर	25	25	50	9.71	11.68	21.39	25	25	50	2.65	3.23	5.88	100	12.36	14.91	27.27
37	हरदा	50	50	100	19.65	27.60	47.25			0			0.00	100	19.65	27.60	47.25
38	इंदौर	0	100	100	21.65	33.65	55.30			0			0.00	100	21.65	33.65	55.30
39	जबलपुर	0	50	50	10.10	12.65	22.75	0	50	50	3.27	3.80	7.07	100	13.37	16.45	29.82
40	कटनी	10	80	90	10.97	16.19	27.16	5	5	10	0.47	0.66	1.13	100	11.44	16.85	28.29
41	मण्डला	50	50	100	15.44	21.55	36.99			0			0.00	100	15.44	21.55	36.99
42	मुरैना	25	25	50	2.95	4.00	6.95	25	25	50	2.29	3.30	5.59	100	5.24	7.30	12.54
43	नरसिंहपुर	15	15	30	5.26	6.43	11.69	35	35	70	3.43	4.57	8.00	100	8.69	11.00	19.69
44	पन्ना	25	25	50	12.69	15.50	28.19	25	25	50	3.09	3.77	6.86	100	15.78	19.27	35.05
45	सतना	0	100	100	16.64	23.22	39.86			0			0.00	100	16.64	23.22	39.86
46	सिवनी	20	80	100	25.50	31.65	57.15			0			0.00	100	25.50	31.65	57.15
47	श्योपुर	25	25	50	7.30	10.18	17.48	25	25	50	2.25	3.30	5.55	100	9.55	13.48	23.03
48	सिंगरौली	50	50	100	19.88	24.56	44.44			0			0.00	100	19.88	24.56	44.44
49	उज्जैन	50	50	100	17.95	25.05	43.00			0			0.00	100	17.95	25.05	43.00
50	उमरिया	50	50	100	18.01	21.80	39.81			0			0.00	100	18.01	21.80	39.81
51	शिवपुरी	50	50	100	28.73	31.13	59.86			0			0.00	100	28.73	31.13	59.86
	योग	**4770**	**13131**	**17901**	**4094.61**	**5079.91**	**9174.52**	**1215**	**1884**	**3099**	**230.89**	**297.01**	**527.9**	**21000**	**4325.5**	**5376.92**	**9702.42**
	मुख्यालय	11385	11383	22768	5484.47	6129.58	11614.05	4940	4941	9981	690.07	901.88	1591.95	32748.8	6174.54	7031.46	13206.00
महायोग		16155	24514	40669	9579.08	11209.5	20788.6	6155	6825	13080	921	1198.9	2119.9	53748.8	10500	12408.4	22908.4

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

प्रपत्र – छः

कार्यालय : *जिला माइक्रो इरीगेशन समिति*
सहायक संचालक उद्यान, जिला ....

क्रमांक उद्यान / माइक्रो / दिनांक :–

माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत सिस्टम की स्थापना हेतु जारी किये जाने वाले कार्यादेश का प्रारूप

प्रति,

मेसर्स ....
....
....

विषय : माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत ड्रिप / स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना करने के संबंध में ।

आपके द्वारा हितग्राही श्री / श्रीमती ....पति / पत्नि ....ग्राम .... वि.ख. .... का पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... है, का स्थल निरीक्षण कर .... फसल में .... हेक्टर में ड्रिप / स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम की स्थापना हेतु सर्वे उपरान्त ड्राइंग / डिजाइन अनुसार राशि रूपये . ... प्राक्कलित की गई है ।

हितग्राही को योजनान्तर्गत निर्धारित फसल एवं क्षेत्रफल हेतु सिस्टम की स्थापना पर राशि रूपये .... के अनुदान की पात्रता बनती है ।

आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन का विभागीय अमले के द्वारा दिनांक .... को निरीक्षण कर लिया है । निरीक्षण उपरान्त प्रकरण के स्वीकृति की गई अनुशंसा के क्रम में आपको, प्रस्तुत प्राक्कलन ड्राइंग / डिजाइन अनुसार कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

निर्देश के जारी दिनांक से 15 दिन के अंदर कार्य सम्पन्न कर कृषक के संतुष्टि प्रमाण पत्र सहित आवश्यक अन्य दस्तावेज मय देयक (प्दअवपबम) के कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे कि भुगतान की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सम्पन्न की जा सके ।

सहायक संचालक उद्यान
सह सदस्य सचिव
जिला माइक्रो इरीगेशन समिति
जिला ....

क्रमश ....